कुलगुरु ने श्रीगंगानगर कृषि महाविद्यालय का दौरा किया

फूड प्रोसेसिंग एवं मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी यूनिट का किया उद्घाटन

बीकानेर/ श्रीगंगानगर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. राजेंद्र बाबू दुबे ने बुधवार को कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर का दौरा कर महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। डॉ दुबे ने महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली तथा स्टाफ से भी संवाद किया ।महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. बी.एस. मीणा ने बताया कि कुल गुरु ने महाविद्यालय में नव स्थापित एक्सपीरियंस लर्निंग यूनिट्स -फूड प्रोसेसिंग एवं मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी का उद्घघाटन किया। कुलगुरु ने महाविद्यालय अकादमी गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने महाविद्यालय के पास आउट विद्यार्थियों के बारे में भी फीडबैक लिया तथा उनकी एकेडमिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कृषि स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. बी.एस. आचार्य सहित महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ रूप सिंह मीणा,अथिति व्याख्याता डॉ कोमल, श्री राम वर्मा एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

खरपतवार -गाजर घास पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
प्रतिकूल प्रभावों व प्रबंधन की दी गई जानकारी

ओम एक्सप्रेस

बीकानेर। खरपतवार-गाजर घास के प्रतिकूल प्रभावों व प्रबंधन की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र बीकानेर में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों विद्यार्थियों को गाजर घास से स्वास्थ्य, पर्यावरण व खेती पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी गई। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ शीश पाल सिंह सिंह ने बताया कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या गाजर घास एक आक्रामक खरपतवार है, जो फसलों और स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करने के साथ मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। डॉ रूपेश मीना ने गाजर घास में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थो व उनके प्रभाव के बारे में बताया। डॉ. बी.डी.एस. नाथावत ने गाजर घास को विभिन्न बीमारियों से जुड़े रोगाणुओं एवं कीट-पतंगों के लिए आश्रय स्थल बताते हुए इसके समयबद्ध नियंत्रण पर जोर दिया। डॉ. ब्रिज सिंह मीना ने गाजर घास के नियंत्रण की विभिन्न विधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके प्रबंधन के लिए यांत्रिक, रासायनिक और जैविक उपायों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार गाजर घास के नियंत्रण में समय पर उखाड़ने, जैव नियंत्रण तथा समेकित खरपतवार प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं। डॉ भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फूल एवं बीज बनने से पहले ही नियंत्रित कर गाजर घास को समूल नष्ट करने के प्रयास किए जाएं, ताकि इसके बीजों के प्रसार को रोका जा सके। कार्यक्रम के समापन पर कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली।

विद्यार्थियों ने गाजर घास भगाओ–पर्यावरण बचाओ और गाजर घास भगाओ-कृषि बचाओ जैसे नारों के माध्यम से आमजन एवं किसानों को इस आक्रामक खरपतवार के नियंत्रण के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि 16 से 22 अगस्त तक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जागरूकता सप्ताह के दौरान देशभर में जागरूकता रैलियों, व्याख्यानों, उन्मूलन अभियानों और किसान संवाद जैसी गतिविधियों के माध्यम से गाजर घास के दुष्प्रभाव एवं प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई जाती है।

कुलगुरु डॉ. दुबे ने विद्यार्थियों से किया संवाद

बीकानेर @ पत्रिका. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि के कुलगुरु डॉ. राजेन्द्र बाबू दुबे ने बुधवार को कृषि महाविद्यालय हनुमानगढ़ का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान कुलगुरु ने विद्यार्थियों की ओर से रखी गई विभिन्न समस्याओं पर सकारात्मकता से विचार करते हुए महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. हनुमाना राम को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। कुलगुरु डॉ. दुबे ने विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग अध्ययन एवं भविष्य निर्माण में लगाने का आह्वान किया।

खरपतवार -गाजर घास पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

प्रतिकूल प्रभावों व प्रबंधन की दी गई जानकारी

बीकानेर, (निसं)। खरपतवार-गाजर घास के प्रतिकूल प्रभावों व प्रबंधन की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र बीकानेर में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों विद्यार्थियों को गाजर घास से स्वास्थ्य, पर्यावरण व खेती पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी गई। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ शीश पाल सिंह सिंह ने बताया कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या गाजर घास एक आक्रामक खरपतवार है, जो फसलों और स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करने के साथ मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। डॉ रूपेश मीना ने गाजर घास में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों व उनके प्रभाव के बारे में बताया।

डॉ. बी.डी.एस. नाथावत ने गाजर घास को विभिन्न बीमारियों से जुड़े रोगाणुओं एवं कीट-पतंगों के लिए आश्रय स्थल बताते हुए इसके समयबद्ध नियंत्रण पर जोर दिया। डॉ. ब्रिज सिंह मीना ने गाजर घास के नियंत्रण की विभिन्न विधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके प्रबंधन के लिए यांत्रिक, रासायनिक और जैविक उपायों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार गाजर घास के नियंत्रण में समय पर उखाड़ने, जैव नियंत्रण तथा समेकित खरपतवार प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं। डॉ भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फूल एवं बीज बनने से पहले ही नियंत्रित कर गाजर घास को समूल नष्ट करने के प्रयास किए जाएं, ताकि इसके बीजों के प्रसार को रोका जा सके।

कार्यक्रम के समापन पर कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। विद्यार्थियों ने गाजर घास भगाओ–पर्यावरण बचाओ और गाजर घास भगाओ–कृषि बचाओ जैसे नारों के माध्यम से आमजन एवं किसानों को इस आक्रामक खरपतवार के नियंत्रण के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि 16 से 22 अगस्त तक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जागरूकता सप्ताह के दौरान देशभर में जागरूकता रैलियों, व्याख्यानों, उन्मूलन अभियानों और किसान संवाद जैसी गतिविधियों के माध्यम से गाजर घास के दुष्प्रभाव एवं प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई जाती है।

कुलगुरु ने श्रीगंगानगर कृषि महाविद्यालय का दौरा किया

फूड प्रोसेसिंग एवं मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी यूनिट का किया उद्घाटन

बीकानेर/ श्रीगंगानगर(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. राजेंद्र बाबू दुबे ने बुधवार को कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर का दौरा कर महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। डॉ दुबे ने महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली तथा स्टाफ से भी संवाद किया। महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. बी.एस. मीणा ने बताया कि कुल गुरु ने महाविद्यालय में नव स्थापित एक्सपीरियंस लर्निंग यूनिट्स-फूड प्रोसेसिंग एवं मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी का उद्घघाटन किया। कुलगुरु ने महाविद्यालय अकादमी गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने महाविद्यालय के पास आउट विद्यार्थियों के बारे में भी फीडबैक लिया तथा उनकी एकेडमिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कृषि स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. बी.एस. आचार्य सहित महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ रूप सिंह मीणा,अथिति व्याख्याता डॉ कोमल, श्री राम वर्मा एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

खरपतवार - गाजर घास के प्रतिकूल प्रभावों व प्रबंधन की दी जानकारी

कामयाब कलम रिपोर्टर।

बीकानेर। खरपतवार-गाजर घास के प्रतिकूल प्रभावों व प्रबंधन की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र बीकानेर में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों विद्यार्थियों को गाजर घास से स्वास्थ्य, पर्यावरण व खेती पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी गई। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ शीश पाल सिंह सिंह ने बताया कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या गाजर घास एक आक्रामक खरपतवार है, जो फसलों और स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करने के साथ मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। डॉ रूपेश मीना ने गाजर घास में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों व उनके प्रभाव के बारे में बताया। डॉ. बी.डी.एस. नाथावत ने गाजर घास को विभिन्न बीमारियों से जुड़े रोगाणुओं एवं कीट-पतंगों के लिए आश्रय स्थल बताते हुए इसके समयबद्ध नियंत्रण पर जोर दिया। डॉ. ब्रिज सिंह मीना ने गाजर घास के नियंत्रण की विभिन्न विधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके प्रबंधन के लिए यांत्रिक, रासायनिक और जैविक उपायों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार गाजर घास के नियंत्रण में समय पर उखाडने, जैव नियंत्रण तथा समेकित खरपतवार प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं। डॉ भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फूल एवं बीज बनने से पहले ही नियंत्रित कर गाजर घास को समूल नष्ट करने के प्रयास किए जाएं, ताकि इसके बीजों के प्रसार को रोका जा सके। गौरतलब है कि 16 से 22 अगस्त तक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जागरूकता सप्ताह के दौरान देशभर में जागरूकता रैलियों, व्याख्यानों, उन्मूलन अभियानों और किसान संवाद जैसी गतिविधियों के माध्यम से गाजर घास के दुष्प्रभाव एवं प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई जाती है।

राजस्थान आवासन मण्डल

(राज0आवा0 मण्डल अधिनियम 1970 के तहत् गठित राज्य सरकार का उपक्रम)

वृत - बीकानेर

क्रमांक :- उआआ/आरएचबी/बीका /2026-27/948 **दिनांक :-19.08.2026**

आम सूचना

श्री कान्ती प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व श्री बाल मुकुन्द गुप्ता को आवास संख्या 3-घ-14 पवनपुरी योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 110.00 वर्गयार्ड (91.00 वर्गमीटर) का आवंटन पत्र क्रमांक 9965 व 2256 दिनांक 26.04.1979 में 25.09.1981 को जारी किया गया था। उक्त आवास मण्डल रिकॉर्ड में दिनांक 27.03.1996 को कन्वेशडीड / परिपिज्यूल को जारी कर दी गई थी। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 27.03.1996 को पंजीकृत हैं। तदश्चात् मूल आंवटी की मृत्यु दिनांक 30.11.2020 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अरूण कुमार गुप्ता ने मृत्यु प्रमाण पत्र घोषणा पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, अण्डर टेकिंग, निर्धारित शुल्क जमा करवाकर, पंजीकृत (14.03.2011) वसीयतनामा एवम् निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदक का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल वृत-बीकानेर

नाम परिवर्तन

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र

नियम 8 राजस्थान सेवा नियम वित्त विभाग के आदेश सं.एफ.1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10-4-57 की अनुपालना में।

इस बन्ध-पत्र द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता सुशील कुमार पारीक (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व सुशील कुमार (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो तृतीय श्रेणी अध्यापक (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बीरमसर (नोखा) (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्वारा :-

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम सुशील कुमार उपनाम.....(सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम सुशील कुमार तथा उपनाम पारीक ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम.....(केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं, बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम पारीक द्वारा जाने जाएं।

2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध-पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन-देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम सुशील कुमार तथा उपनाम.....के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में सुशील कुमार नाम के रूप में तथा पारीक उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।

3. स्पष्टतः एतद्यश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम सुशील कुमार उपनाम पारीक के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम सुशील कुमार तथा सुशील कुमार पारीक का वर्णन है तथा दिनांक 27.07.2021 को हस्ताक्षर किये हैं। किया हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम सुशील कुमार पारीक द्वारा जो पूर्व में सुशील कुमार कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

सुशील पारीक हस्ताक्षर
नया नाम : सुशील कुमार पारीक
पुराना : नाम सुशील कुमार